Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बनाम
1. लालचन्द पुत्र नानूराम जाति जाट साकिन किशनपुरा तहसील सूरतगढ़
2. अधिशाषी अभियंता, जल संशाधन खण्ड सूरतगढ़

किस्म मुकदमा– रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
प्रकरण संख्या– 388/2013 जीसीएमएस प्र0रा0– 2013/00362

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.04.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 02 हाजिर। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा यह रेफरेन्स दिनांक 25.04.2013 को पेश किया गया है। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 27.06.2022 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की तलवी रजिस्टर्ड ऐडी नोटिस से करने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 के सही पते के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को 37 अवसर दिये जाने के उपरांत भी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा आदेशानुसार नोटिस पेश नहीं किये। इसके अतिरिक्त आदेशिका दिनांक 31.07.2024 द्वारा आवंटन संबंधी मूल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया गया था। मूल अभिलेख मंगवाने बाबत इस न्यायालय के पत्रांक रीडर/2025/387–388 दिनांक 13.08.2025 द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को लिखा भी गया था। मूल अभिलेख प्रस्तुत करने बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ को 19 अवसर भी प्रदान किये गये थे। परन्तु आज दिनांक तक तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा मूल अभिलेख पेश नहीं किया गया है। मूल अभिलेख के अभाव में हम प्रकरण का निस्तारण करना उचित नहीं समझते है। अतः हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आश्य के साथ वापिस लौटाया जाता है प्रकरण में मूल आवंटी/यदि मूल आवंटी फौत हो चुका है तो उसके विधिक वारिसान को/वर्तमान खातेदार को पक्षकार बनाते हुए उनके सही पते के रजिस्टर्ड ऐडी नोटिस एवं मूल आवंटन अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा आवंटन के समय तथा वर्तमान में रकबा पर कौन व किस हैसियत से काबिज है, की रिपोर्ट सहित तथा यदि रकबा जल संशाधन विभाग द्वारा अवाप्तशुदा/विभाग के लिए आरक्षित है तो जल संशाधन विभाग को भी पक्षकार बनाते हुए अवाप्ती संबंधी/आरक्षण संबंधी अभिलेख की प्रमाणित प्रति सहित एवं रकबा के संबंध में वादों की बहुलता को रोकने हेतु स्थगन प्रार्थना सहित अविलम्ब नियमानुसार वापिस इस न्यायालय में पेश करे। चूंकि प्रकरण राज्य हित से संबंधित है अतः पुनः रेफरेन्स पेश करने में होने वाले विलम्ब के लिए तहसीलदार सूरतगढ़ स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दीनानाथ बब्बल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर) Signature Not Verified Digitally signed by Deenanath Babbal Date: 2026.05.14 16:55:44 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner